

विरुद्ध भविष्य निधि आयुक्त द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र बर्मा) : (क) श्री (ग). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उक्त प्रतिष्ठान की श्री इस समय जून, 1976 से लेकर 15 अप्रैल, 1977 तक (जब यह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिवालिया घोषित किया गया था) के भविष्य निधि भ्रमदानों की राशि बकाया है। जून, 1976 से अक्टूबर, 1976 तक की भ्रमधि की देय राशियों की भूमि राजस्व की बकाया राशियों के रूप में बसूली के लिए कारंवाई प्रारम्भ की गई थी, परन्तु प्रतिष्ठान द्वारा दायर किए गए आবেदन-पत्र पर उसे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया। इसके कारण इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई प्रभियोगन नहीं चनाया जा सका। अब चूकि कम्पनी दिवालिया हो गई है, इसलिए मांविधिक देय राशियों के लिए दावे सरकारी परिममापक के पाम दायर किए जाने हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन मांविधिक उपबन्धों के अनुपालन करना निवोजक का दायित्व है।

New Steel Plants during Fifth Plan

596. SHRI GANANATH PRADHAN:
SHRI K. A. RAJAN:
Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there are any proposals to set up new Steel Plants during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the States in which these will be set up?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). The three new steel plants are in the following stages of progress:

(1) Salam Steel Plant, Tamilnadu
1st stage - under implementation.

(2) Vijayanagar Steel Project, Karnataka; Detailed Project Report under consideration by SAIL.

(3) Visakhapatnam Steel Project, Andhra Pradesh—Detailed Project Report under preparation by the consultants.

पोस्टल मुहरों के निर्माण के लिए सप्लाई आदेश में कमी

507. श्री नवाब सिंह चौहान ; क्या संभार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में प्रयोग होने वाली मुहरों की संख्या तथा किस्मों में हाल में कमी कर दी गई है जिसके फलस्वरूप पोस्टल सीलम महकारी समिति, धनीगढ़ को उनके निर्माण हेतु सप्लाई आर्डर में भी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, किस किस्म की मुहरों को अब समाप्त कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सहकारी समिति ने कटौती को बहाल करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संभार मंत्री (श्री जाबं कर्नानडिस) :
(क) जी हां।

(ख) शाखा डाकघरों में तारीख की मीलों की जगह नाम की मीलों चालू की गई हैं। उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों में इस्तेमाल की जाने वाली सीलों की संख्या सीमित करके प्रापरेटरों की संख्या के बराबर कर दी गई है और एक बीमा सील भी इस्तेमाल की जाती है। ये मीलों उन पिछली सीलों की जगह इस्तेमाल की जाएगी जो विभागवार तैयार की गई थीं। डाक कर्मचारियों द्वारा भारी संख्या में सीलों का इस्तेमाल करने में व्यर्थ का काम-कम करने और कार्य-कुशलता के अनुरूप खर्च में मितव्ययता लाने के लिए नये आदेश जारी किए गए हैं।